‘टारगेट करियर इंस्टीट्ययूट’ की बस पुलिया से नीचे गिरी, एक छात्रा की मौत, नौ घायल

बताया जा रहा है कि बस का फिटनेस पिछले साल मार्च में ही खत्म हो गया था

हादसे के बाद मौके लोगों की भीड़ जमा हो गई।

मृतक छात्रा कोमल देवन्दा

चौमूं/कालाडेरा, (निसं)। चौमूं शहर के बायपास से गुजरने वाले जयपुर-सीकर हाइवे-52 पर स्थित वीर हनुमान मार्ग पुलिया के पास बुधवार को टारगेट करियर इंस्टीट्ययूट (टी. सी. आई.) की बस पुलिया से अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। इस हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि नौ बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बस हादसे में सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर लगातार घायल छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। जानकारी के अनुसार हादसा बस का ब्रेक फेल होने के कारण हुआ है। बस में करीब 30 बच्चे सवार थे। घटना के बाद मौके से ड्राइवर फरार हो गया।

मिली जानकारी के अनुसार बस का फिटनेस पिछले साल मार्च में ही खत्म हो गया था। फिटनेस खत्म होने के बावजूद बस बच्चों को लेकर हाइवे पर चल रही थी, जबकि बस का परमिट चौखी ढाणी से लेकर सिरसी रोड तक का था। नियमों की अनदेखी कर बस दूसरे रूट पर चल रही थी। बताया जा रहा है कि बस का मालिक कुछ दिन पूर्व ही बस को खरीदकर लाया था।

जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब 7.30 बजे चौमूं शहर के बायपास से गुजरने वाले जयपुर-सीकर हाईवे 52 पर स्थित वीर हनुमान मार्ग पुलिया के पास एक बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। हादसे में एक छात्रा कोमल देवन्दा (18) पुत्री शिशुपाल देवन्दा निवासी रामपुरा, डाबड़ी चौमूं की मौत हो गई। कोमल टारगेट करियर इंस्टीट्ययूट (टी. सी. आई) में कक्षा 12वीं की विद्यार्थी थी। बस जब दुर्घटनाग्रस्त हुई तब जोर का धमाका हुआ लोग धमाके की आवाज सुनकर पुलिया की ओर दौड़े। दुर्घटना की सूचना मिलते ही चौमूं थाना पुलिस मौके पर पहुंची व 108 एंबुलेंस की मदद से सभी घायल नौ बच्चों को नजदीक के हॉस्पिटल पहुंचाया गया।

गंभीर रूप से घायल बच्चों को शहर के सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायलों में सुमित चौधरी पुत्र मुरलीधर चौधरी निवासी रामपुरा, अंकिता कुमावत पुत्री शिवपाल कुमावत निवासी आंकेड़ा, मनीषा चौधरी पुत्री प्रहलाद सहाय निवासी आंकेड़ा, रवि शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा निवासी आंकेड़ा, संजीव बुनकर पुत्र दिनेश कुमार बुनकर निवासी आंकेड़ा, देवेश कुंदल पुत्र सोहन लाल शर्मा निवासी रामपुरा, तनु प्रजापत पुत्री राकेश प्रजापत निवासी रामपुरा, वंश वर्मा निवासी रामपुरा और अक्षिता चौधरी निवासी आंकेड़ा शामिल है।

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताते हुए आरोप लगाया कि चौमूं में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग कार्रवाई नहीं करता है। स्थानीय लोगों ने परिवहन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और विरोध जताया। लोगों ने बताया कि परिवहन विभाग की लापरवाही का ही नतीजा है कि प्राइवेट बसें स्कूलों के नाम पर चल रही हैं। जरूरी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। लोगों ने चौमूं में अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर, लोगों ने यह भी जानकारी दी कि स्कूल प्रबंधन ने बस को किराए पर लगा रखा था।

नियमों के अनुसार बस का रंग पीला होना चाहिए। साथ ही, बच्चों को लाने-ले जाने के दौरान उसमें कंडक्टर भी होना चाहिए था, लेकिन इन सब नियमों की अनदेखी की गई है। घटना की सूचना मिलने पर जयपुर डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुडानिया चौमूं पहुंचे। उन्होंने सामोद रोड स्थित सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में घायल बच्चों से घटना की जानकारी ली। इस मौके पर एसीपी अशोक चौहान व कार्यवाहक थाना प्रभारी गणेश सैनी, पूर्व विधायक रामलाल शर्मा, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अनुराग शर्मा भी हॉस्पिटल पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। घटना के बाद स्कूल प्रशासन की ओर से कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा था। इसको लेकर लोगों में भारी नाराजगी थी।

एसीपी अशोक चौहान ने लोगों से समझाइश के बावजूद लोग स्कूल प्रशासन को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े थे। उनका कहना था कि हादसे के बाद स्कूल की ओर से कोई नहीं आया है। इस बात को लेकर चौमूं के सरकारी हॉस्पिटल के बाहर लोग धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद चौमूं एसीपी ऑफिस में दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई। अशोक चौहान की समझाइश पर स्कूल प्रशासन मृतक छात्रा के परिजनों को 21 लाख रुपए मुआवजा देने पर राजी हुआ। जिला परिवहन अधिकारी अनूप सिंह सहरिया ने चौमूं थानाधिकारी को पत्र लिखकर स्कूल संचालक, बस मालिक सहित दुर्घटना के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

उन्होंने लिखा है कि बिना बालवाहिनी परमिट के बस गाड़ी का संचालन किया जा रहा था। फिटनेस भी पिछले साल ही खत्म हो गया था।

- **बस का परमिट चौखी ढाणी से लेकर सिरसी रोड तक का था, नियमों की अनदेखी कर बस दूसरे रूट पर चल रही थी**
- **घटना के बाद लोगों ने आक्रोश जताया, मृतक छात्रा के परिजनों को 21 लाख रुपए मुआवजा देने पर राजी हुआ स्कूल प्रशासन**
- **हादसा बस के ब्रेक फेल होने के कारण हुआ, बस में करीब 30 बच्चे सवार थे, ड्राइवर फरार हो गया**

नाकाबंदी तोड़कर भागी जीप पलटी, 2.13 क्विंटल डोडा-पोस्त छिलका जब्त

राजगढ़ थाना पुलिस ने अवैध डोडा-पोस्त छिलका तस्करी करते पति-पत्नी व एस्कोर्ट कर रहे दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया।

सादुलपुर, (निसं)। राजगढ़ थाना पुलिस ने बुधवार को नाकाबंदी के दौरान डोडा-पोस्त छिलका सहित एक पिकअप जीप तथा तस्करी एस्कॉर्ट के रूप में काम में ली जा रही एक कार जप्त की है। वहीं पति-पत्नी सहित दो अन्य आरोपियों सहित चार जनों को गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि अवैध डोडा-पोस्त तस्कर नाकाबंदी को देखकर पुलिस से बचने के फिराक में और हरियाणा में घुसने के प्रयास में पिकअप जीप चालक ने तेज गति से पिकअप चलाते हुए एक ट्रक में टक्कर मार दी, जिसके कारण पिकअप जीप पलटकर क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने पिकअप जीप में भरे प्लास्टिक कट्टों से 2 क्विंटल 13 किलो 700 ग्राम डोडा- पोस्त छिलका बरामद किया है। प्रारंभिक पूछताछ में तस्करों ने पुलिस को बताया कि राजस्थान के भीलवाड़ा से डोडा-पोस्त छिलका पिकअप जीप में भरकर पंजाब ले जा रहे थे।

थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि अभियान अंतर्गत डीएसटी टीम चूरू से सूचना मिली कि एक संदिग्ध पिकअप जीप तेज गति से राजगढ़ की ओर आ रही है। जिस पर राजगढ़ थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर नाकाबंदी शुरू की। इसी दौरान एक पिकअप जीप चालक नाकाबंदी को तोड़कर फरार हो गया तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित गांव लुदी झाबर बस स्टैंड के नजदीक हिसार की ओर जा रहे एक ट्रक में टक्कर मार दी। इसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई तथा पिकअप जीप में सवार लोगों को दबोच लिया।

भागने का कारण पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर पुलिस ने पिकअप जीप की तलाशी लेकर जांच की तो पिकअप जीप में प्लास्टिक कट्टों में भारी मात्रा में डोडा-पोस्त छिलका भरा हुआ पाया। पुलिस ने डोडा-पोस्त छिलका तस्करी करने के आरोप में कालासिंह पुत्र बारूसिंह तथा सरबजीत कौर पत्नी कालासिंह राजपूत निवासी हण्डाया थाना सदर बरवाला हाल जोगा पुलिस थाना जोगा जिला मानसा पंजाब तथा एस्कोर्ट कर रहे वाहन कार चालक अशोक कुमार पुत्र कालाराम ओड व तरसप्रित पुत्र भोलासिंह सांसी निवासी हण्डाया पुलिस थाना सदर बरनाला जिला मानसा पंजाब को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि डोडा-पोस्त छिलका की एस्कॉर्ट करते हुए चल रहे दो तस्करों को गिरफ्तार कर एक कार को जप्त करने में सफलता प्राप्त की।

- **चालक ने तेज गति से पिकअप चलाते हुए एक ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे जीप पलटकर क्षतिग्रस्त हो गई**
- **पति-पत्नी सहित चार गिरफ्तार, पिकअप जीप तथा तस्करी एस्कॉर्ट के काम में ली जा रही कार को जब्त किया**
- **भीलवाड़ा से तस्करी कर पंजाब ले जा रहे थे अवैध डोडा-पोस्त छिलका**

नौकरी लगाने के नाम पर भाई-बहन से 31 लाख रुपए हड़पे

बीकानेर, (निसं)। सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर भाई-बहन से 31 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में सीकर में भी एक करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का मुकदमा दर्ज हो चुका है।

सीकर की लक्ष्मणगढ़ तहसील में बीदासर निवासी राकेश मुहाल की ओर से श्रीडूंगरगढ़ थाना पुलिस को रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसकी बहन संगीता की शादी सीकर में कटराथल के रहने वाले कमलेश कुमार जाट से हुई थी जो श्रीडूंगरगढ़ में नौकरी करते हैं। बहनोई के साथ उसके बुआ का लड़का मनोहरलाल जाट भी घर आता-जाता था। इस दौरान पिता बिजली विभाग से रिटायर हुए जिसकी मनोहर को जानकारी थी। उसने परिवादी राकेश को पुस्तकालय सहायक की नौकरी लगाने का झांसा दिया और रुपए एंठने शुरू कर दिए। श्रीडूंगरगढ़ में जीजा कमलेश से 2 लाख रुपए लेकर मनोहर को दिए। उसके बाद सितंबर, 2020 में 14 लाख रुपए और दे दिए। मनोहर ने सीकर निवासी रणजीतसिंह के साथ मिलकर लगातार नौकरी दिलाने का झांसा दिया। बहन संगीता को भी सेकंड ग्रेड टीचर लगाने के नाम पर 11 लाख रुपए ले लिए। दोनों भाई-बहन को नौकरी लगाने के नाम पर कुल 31 लाख रुपए ऐंठ लिए। दोनों परीक्षाओं का परिणाम आया और सलेक्शन नहीं हुआ तो मनोहर से रुपए वापस मांगे। पहले तो उसने लौटाने का आश्वासन दिया और फिर टालमटोल करने लगा। बाद में रुपए देने से मना कर दिया। दोनों आरोपियों ने सीकर में भी युवकों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए हड़प रखे हैं।

श्रीडूंगरगढ़ पुलिस थाने के एसएचओ जितेन्द्र स्वामी ने बताया कि धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल देवाराम को सौंपी गई है। रंजीतसिंह माली के खिलाफ सीकर के कोतवाली पुलिस थाने में युवकों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक करोड़ 22 लाख रुपए हड़पने का मुकदमा दर्ज हो चुका है। छह अप्रैल,2023 को दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया कि रणजीत ने अपने दोस्त रिछपाल मीणा को तत्कालीन आरपीएससी सदस्य नमोनारायण मीणा का खास बताया। युवकों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर झांसे में लिया। शातिराना तरीके से अलग-अलग युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर 1.22 करोड़ रुपए हड़प लिए। बाद में युवकों को रुपए देने से मना कर दिया और शूटर से मारने की धमकी दी।

- **आरोपियों के खिलाफ पूर्व में सीकर में भी 1.22 करोड़ रूपये की ठगी का मुकदमा दर्ज हो चुका है**

नवजात बच्ची को पालना गृह में छोड़ा

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर में स्थित मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के पालना गृह से एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। अज्ञात कुमाता ने एक नवजात बच्ची को आधी रात में पालना गृह में छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार रात करीब दो बजे पालना गृह की घंटी बजी। चिकित्साकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां नवजात बच्ची रोती-बिलखती मिली। बच्ची को तुरंत अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) में भर्ती किया गया, जहां बच्ची का उपचार जारी है और उसकी स्थिति स्थिर बताई गई है।

एडीए ने निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त किया

अजमेर, (कासं)। फूस की कोठी क्षेत्र में बुधवार को एक निर्माणाधीन भवन को अवैध करार देते हुए अजमेर विकास प्राधिकरण ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। एडीए की इस कार्यवाही से वर्षों से रह रहे लोगों में आक्रोश फैल गया।

तीस हजार की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार

बालोतरा/जालोर, (का.सं.)। बुधवार को ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी बाड़मेर इकाई ने किशनाराम पटवारी, पटवार मण्डल सिणधरी, अतिरिक्त चार्ज कमठाई, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा को 30 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

परिवादी के ग्राम धन्ने की ढाणी, पटवार मण्डल कमठाई में बाड़मेर-जालोर स्टेट हाईवे पर स्थित कृषि भूमि में से एक बीघा कृषि भूमि का वाणिज्यिक सम्परिवर्तन कराने को लेकर मौका रिपोर्ट सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही कर एस.डी.एम. को पत्रावली पेश कर सम्परिवर्तन आदेश जारी करवाकर परिवादी को देने की एवज में परिवादी से 90 हजार की रिश्वत राशि की मांग की। पूर्व में 60 हजार रु. प्राप्त किये गये व उक्त तय राशि में से शेष 30 हजार रू. रिश्वत राशि लेते हुए आरोपी को तहसील कार्यालय सिणधरी के पास स्थित स्वयं के राजकीय क्वार्टर में रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी हैं। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

वृद्धा से लूट की घटना का पर्दाफाश

शाहपुरा, (निसं)। शाहपुरा पुलिस ने क्षैत्र के नाथावाला में रात्रि में घर में घुसकर वृद्ध महिला के साथ मारपीट कर रुपए, मोबाइल व जेवरात छीनकर ले जाने की घटना का 24 घंटे में पर्दाफाश किया। पुलिस ने अभियुक्त दीपक मीणा निवासी नाथावाला को गिरफ्तार किया। आनन्द शर्मा उप-महानिरीक्षक व सह पुलिस अधीक्षक जिला जयपुर ग्रामीण ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 जनवरी को पीड़िता बनारसी देवी पत्नी भागीरथ जांगिड़ निवासी नाथावाला ने यूपी जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान पुलिस को बताया कि 4 फरवरी शाम को वे अपने घर सो रही थी। रात्रि समय करीब 10 बजे उनके कमरे में कोई आया व आते ही उनके मुंह तथा आंखों को दुपट्टे से बांध दिया था।

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, प्रताप नगर, उदयपुर
(विशाल पेट्रोल पम्प के सामने जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण परिसर)
क्रमांक-एफ()/निविदा/MJSA 2.0/2024-25/6885 दिनांक-24.01.2025

ई निविदा सूचना 64-67/2024-25

एमजेएसए 2.0 चरण प्रथम (राज्य निधि शीर्ष परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लॉक सेमारी, मावली, बडगांव, लसाड़िया (4 पैकेज) में चारागाह विकास कार्य (एनआरएम मद) के लिए बीड, अनुमानित मूल्य 178.16 लाख रूपये दिनांक 05.02.2025 को शाम 6.00 बजे तक इच्छुक बोलीदाताओं से आमंत्रित की जाती हैं। बोलियों से संबंधित विस्तृत विवरण राज्य सरकार के पोर्टल (https://eproc.rajasthan.gov.in, https://sppp.rajasthan.gov.in/) पर देखे जा सकते है। यूबीएन संख्या-WSC2425WSOB01126, WSC2425WSOB01127, WSC2425WSOB01128, WSC2425WSOB01129

अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं
पदेन परियोजना प्रबन्धक वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर
प्रतापनगर, उदयपुर
DIPR/C/1154/2025

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF THE PRINCIPAL, SARDAR PATEL MEDICAL COLLEGE & ASSOCIATED GROUP OF HOSPITALS, BIKANER
Phone: 0151-2226300 Email: principal.spmc.bknr@rajasthan.gov.in
No. F... (Store)SPMC/2024-25/129 Date: 31.01.2025

अल्पकालीन ई-बोली संख्या 07 (2024-25)

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालयों में उपकरण/सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु ई-बोली (द्वि भाग बोली) आमंत्रण सूचना जारी की जाती है। जिसमें इच्छुक बोलीदाता ई-प्रोक के माध्यम से भाग ले सकते है। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10.02.2025 सायं 2 बजे तक रखी गई हे। बोली से संबंधित विस्तृत विवरण DIPR की वेब साईट dipr.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in & eproc.rajasthan.gov.in पर एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है।
MCB2425A0100
UBN NO. 1. MCB2425GLOB00164, 2. MCB2425GLOB00165, 3. MCB2425GLOB00166, 4. MCB2425GLOB00167, 5. MCB2425GLOB00168, 6. MCB2425GLOB00169, 7. MCB2425GLOB00170, 8. MCB2425GLOB00171, 9. MCB2425GLOB00172, 10. MCB2425GLOB00173

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
सरदार पटेल आयुविज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर
DIPR/C/1512/2025

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड टोडाभीम
क्रमांक-2565-73 दिनांक-22.01.2025

संशोधन ई-निविदा सूचना संख्याः 10/2024-25

इस कार्यालय की ई-निविदा सूचना संख्या 10/2024-25 जो पत्र क्रमांक 2457-2465 दिनांक 08.01.2025 सेजारी हुई है। जिसके प्रकाशन बाबत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2466 दिनांक 08.01.2025 द्वारा डी.पी.आर. को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु भिजवाया गया है। जो डीआईपीआर के आदेश क्रमांक DIPR/C/616/2025 दिनांक 13.01.2025 तथा एसपीपी पोर्टल पर एनआईबी कोड सं. PWD2425A3751 से प्रकाशित हुई है। जिसकी तिथियों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है

विवरण	पूर्व प्रकाशित तिथियां	संशोधित तिथियां
फार्म मिलने/जमा कराने की तारीख	दिनांक 14.01.2025 प्रात 10.00 बजे से दिनांक 30.01.2025 को सायं 6.00 बजे तक	दिनांक 14.01.2025 प्रात 10.00 बजे से दिनांक 10.02.2025 को सायं 6.00 बजे तक
निविदा खोलने की तारीख	दिनांक-31.01.2025 सायं 4.00 बजे	दिनांक 11.02.2025 अपरान्ह 4.00 बजे तक

नोट-निविदा की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

(के.के. मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड टोडाभीम
DIPR/C/1008/2025

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
क्रमांक-निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी(NIA 01)/2025/ई-09984

आवेदन-पत्र प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के अध्याय-ııı नियम 12(5)(प) के अंतर्गत राय के अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र में खनिज मेसेनरी स्टोन के निम्नांकित आरक्षित प्लॉटो हेतु नियम 12ठ के प्रावधान अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। डोमिसाईल शिड्यूल ट्राईब के इच्छुक व्यक्ति विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से दिनांक 20.02.2025 तक विभागीय पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। आवंटित किये जाने वाले खनन पट्टों (प्लॉट) का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

जिला	तहसील	राजस्व ग्राम	खनिज	कुल प्लॉट
प्रतापगढ़	प्रतापगढ,छोटीसादडी	छोटीलांक,जीवनपुरा सालमगढ़	मेसेनरी स्टोन	9
उदयपुर	नयागांव	महीडा	मेसेनरी स्टोन	1
डूंगरपुर	सीमलवाडा,दोवड़ा	चाडोली,दामड़ी,फलोज	मेसेनरी स्टोन	10
			मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	3
योग				23

विशेष नोट- 1. प्लॉटो का विस्तृत विवरण, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि इत्यादि का विवरण, आवश्यक शर्ते विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(भगवती प्रसाद) IAS
निदेशक
DIPR/C/1210/2025

कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली (राज.)
गद्का की चौकी करौली Phone & Fax No. 07464-297003, Email-dcf.kroli.forest@rajshan.gov.in

Notice Inviting Bid

Bid for Boundry Wall and WHS Condtruction Work in Range Karauli, Sapotra and Gudachandrji are invited from interested bidders. other particulars of bid may be visited on the procurement portal http://sppp.raj.nic.in and http://www.eproc.rajasthan.gov.in of the state

क्र. सं.	कार्य का विवरण	यूबीएन नम्बर	लागत लाखों में	जारी दिनांक	जमा व खोलने की दिनांक
1	दीवार निर्माण कार्य, रेंज करौली	UBN NO. FOR2425 WSRC04209	39.12	31.01.2025	11.02.2025
2	दीवार निर्माण कार्य, रेंज सपेटरा किला सपोटरा	UBN NO. FOR2425 WSRC04210	19.56	31.01.2025	11.02.2025
3	दीवार निर्माण कार्य, रेंज सपेटरा कैलागांव	UBN NO. FOR2425 WSRC04211	19.56	31.01.2025	11.02.2025
4	दीवार निर्माण कार्य, रेंज गुढाचन्द्रजी	UBN NO. FOR2425 WSRC04212	39.12	31.01.2025	11.02.2025
5	दीवार निर्माण कार्य, रेंज सपेटरा लवकुश वाटिका	UBN NO. FOR2425 WSRC04213	29.78	31.01.2025	11.02.2025
6	WHS/ एनीकट निर्माण कार्य,रेंज करौली	UBN NO. FOR2425 WSRC04214	2.65278	31.01.2025	11.02.2025
7	WHS/ एनीकट निर्माण कार्य,रेंज सपोटरा	UBN NO. FOR2425 WSRC04215	7.62342	31.01.2025	11.02.2025
8	WHS/ एनीकट निर्माण कार्य,रेंज गुढाचन्द्रजी	UBN NO. FOR2425 WSRC04216	9.89994	31.01.2025	11.02.2025

DIPR/C/1534/2025 (सुमित बंसल) उप वनसंरक्षक, करौली

कार्यालय समन्वयक, पी.टी.ई.टी.-2024
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अंतिम रिफंड नोटिस

पी.टी.ई.टी-2024 परीक्षा में काउसंलिंग के उपरान्त जिन पात्र अभ्यर्थियों (जिन्होंने कांउसलिंग पंजीकरण शुल्क रु. 5000/- या/अथवा रु. 22000/- महाविद्यालय शुल्क जमा किया था एवं उन्हें महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है या उन्होंने प्रवेश नहीं लिया) ने अभी तक (फ़ीस रिफंड के पूर्व के दोनों चरणों में) रिफंड हेतु आवेदन नहीं किया है, उन अभ्यर्थियों को इस नोटिस द्वारा फीस रिफंड का अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि फीस रिफंड हेतु पीटीईटी-2024 की अधिकृत वेबसाइट www.ptetvmou2024.com पर दिनांक 17 जनवरी से 10 फ़रवरी 2025 के मध्य ऑनलाईन आवेदन करें। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है उक्त अवधि के पश्चात् किसी भी प्रकार के रिफण्ड आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। रिफण्ड आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पी.टी.ई.टी. कार्यालय में दूरभाष 6367026526 या मेल Email : ptet2024@vmou.ac.in पर सम्पर्क किया जा सकता है। पी.टी.ई.टी-2024 की फ़ीस रिफंड के सन्दर्भ में इस नोटिस को अन्तिम नोटिस समझा जाये। । जिन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत भी आज दिनांक तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है वह अभ्यर्थी वेबसाइट पर दी गई पेमेंट रिजेक्ट लिस्ट चेक करें एव आवश्यक हो तो अपनी बैंक डिटेल सही करें ।

समन्वयक
पी.टी.ई.टी. 2024

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उदयपुर
क्रमांक :- प.46/अअउ/वि.बो/बिड/2024-25/1538-1570 दिनांक :- 03/02/2025

निविदा सूचना संख्या -03/2024-25 (NIB No. AGM2425A0139)

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड उदयपुर के अन्तर्गत जिला डूंगरपुर/उदयपुर/राजसमन्द में टीएडी क्षमता वृद्धि कार्यो एवं आरएसआरटीसी रिपेयर कार्यो की ऑनलाईन निविदाऐं ई-प्रोक्युरमेन्ट www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से उपयुक्त कार्य हेतु दिनांक 27.02.2025 तक आमंत्रित की जाती है। बिड से सम्बन्धित विस्तृत विवरण वेबसाइट www.rsamb.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in (NIB No AGM2325A0139 & UBN No. AGM2425WSRC00565 to 575) पर भी देखा जा सकता है।

राज.संवाद/सी/24/11247 अधिशाषी अभियन्ता

कार्यालय उपवन संरक्षक धौलपुर
क्रमांक-उ.व.सं.धौ./लेखा/निविदा/2024-25/1215 दिनांक-31.01.2025

Notice Inviting Bid

Bid for rate contract for various forestery works my machine in Advance Soil works in all ranges of Dholpur are invited from interested bidders upto 4.30 PM, 10.02.2025. other particulars of bid may be visited on the procurement portal http://sppp.raj.nic.in and https://eproc.rajasthan.gov.in of the state. The approximate value of the procurement is 50 lakhs.
UBN NO.- FOR2425WSRC04169

DIPR/C/1502/2025 DCF Dholpur

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सानिवि नगर खण्ड बीकानेर
क्रमांक-5600 दिनांक-23.01.2025

Notice Inviting Bid-46/2024-25

Bid for the "Various MLA/MP LAD Works" are invited from interested bidders from 23.01.2025 (09.30 AM) to 05.02.2025 (06.00 PM) & Open date 06.02.2025 (11.00 AM), other particulars of the bid may be visited on the procurement portal http://www.pwd.rajasthan.gov.in & eproc.rajasthan.gov.in & https://sppp.rajasthan.gov.in of the state and departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 270.71 Lakh.
UBN NO. PWD2425WSOB14201

Executive Engineer,
PWD City Division, Bikaner
DIPR/C/1215/2025

कार्यालय अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर केकड़ी
क्रमांकः- निविदा/2024-25/485-494 दिनांकः- 25.01.2025

ई- निविदा सूचना संख्या 09-10/2024-25/भिनाय, 11-12/2024-25/सरवाड़, 13-14/2024-25/केकड़ी

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से अजमेर जिले की निम्न पंचायत समितियों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अन्तर्गत जलग्रहण विकास कार्यो को संपादन करने हेतु सक्षम श्रेणी मे पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र मे खुली ई टेण्डरिग प्रकिया द्वारा आनॅलाईन निविदाऐं आंमत्रित की जाती है। कार्य का विस्तृत विवरण बेवसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in और www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.स.	पंचायत समिति एवं योजना का नाम	निविदा संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों मे)	धरोहर राशि (रूपये मे)	निविदा प्रपत्र शुल्क (रूपये मे)	प्रोसेसिंग शुल्क (रूपये मे)	आन लाईन फार्म अपलोड व जमा /डाउनलोड करने की दिनांक	धरोहर राशि निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस व निविदा प्रपत्र अपलोड कराने की अंतिम दिनांक	ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक	NIB CODE	UBN CODE	EPROC TENDER ID
1	भिनाय (प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना 2.0)	09/2024-25/ Bhinai	Construction of Farm Ponds, Sunken Pond, PT, MPT in Block Bhinai	106.21	212433/-	1000/-	2000/-	27.01.2025 09.30 AM	06.02.2025 06.00 PM	07.02.2025 11.00 AM	WSC2425A0529	WSC2425WSOB01134	2025_WDSC_444587_1
2	भिनाय (प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना 2.0)	10/2024-25/ Bhinai	Construction of Anicut, Anicut Renovation, WHS, RTWHS in Block Bhinai	70.34	140695/-	1000/-	1500/-	27.01.2025 09.30 AM	06.02.2025 06.00 PM	07.02.2025 11.00 AM	WSC2425A0530	WSC2425WSOB01135	2025_WDSC_444574_1
3	सरवाड़ (प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना 2.0)	11/2024-25/ Sarwar	Construction of Farm Pond, Sunken Pond in Block Sarwar	104.69	209389/-	1000/-	2000/-	27.01.2025 09.30 AM	06.02.2025 06.00 PM	07.02.2025 11.00 AM	WSC2425A0531	WSC2425WSOB01136	2025_WDSC_444586_1
4	सरवाड़ (प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना 2.0)	12/2024-25/ Sarwar	Construction of Anicut in Block Sarwar	29.21	58428/-	500/-	500/-	27.01.2025 09.30 AM	06.02.2025 06.00 PM	07.02.2025 11.00 AM	WSC2425A0532	WSC2425WSOB01137	2025_WDSC_444577_1
5	केकड़ी (प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना 2.0)	13/2024-25/ Kekri	Construction of Farm Pond in Block Kekri	20.88	41766/-	500/-	500/-	27.01.2025 09.30 AM	06.02.2025 06.00 PM	07.02.2025 11.00 AM	WSC2425A0533	WSC2425WSOB01138	2025_WDSC_444582_1
6	केकड़ी (प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना 2.0)	14/2024-25/ Kekri	Construction of Anicut in Block Kekri	18.09	36186/-	500/-	500/-	27.01.2025 09.30 AM	06.02.2025 06.00 PM	07.02.2025 11.00 AM	WSC2425A0534	WSC2425WSOB01139	2025_WDSC_444578_1

नोट – उपरोक्त तालिका में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर ई-प्रोक पोर्टल पर दर्शाई गई सूचना ही सही मानी जावे।

(अरूण शर्मा)
अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना प्रबन्धक
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर
केकड़ी
DIPR/C/1196/2025